यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त, देहरादून के माह फरवरी 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी, श्री भारत सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, श्री शशांक वर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12-02-2018 से 17-02-2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त देहरादून की विगत लेखापरीक्षा दिनांक 26/03/2016 से 31/03/2016 तक सर्व श्री राघवेंद्र सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 03/2014 से 02/2016 तक के लेखाभिलेखों की जाँच की गई थी।

वर्तमान में माह फरवरी 2016 से जनवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी, श्री भारत सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, श्री शशांक वर्मा लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12-02-2018 से 17-02-2018 तक सम्पादित किया गया।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलाप:- विद्युत एवं यांत्रिक मशीनों से संबन्धित कार्यों के सम्पादन का निरीक्षण।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल के सिविल खंडों में विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों का सम्पादन।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14					88.46	84.68		3.77
2014-15	--	--			101.31	94.97	--	6.34
2015-16	--	--			115.22	110.56	--	4.66
2016-17	--	--			147.14	129.54		17.60
2017-18 (माह 01/2018 तक)	--	--			148.03	119.22		28.81

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	**शून्य**					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

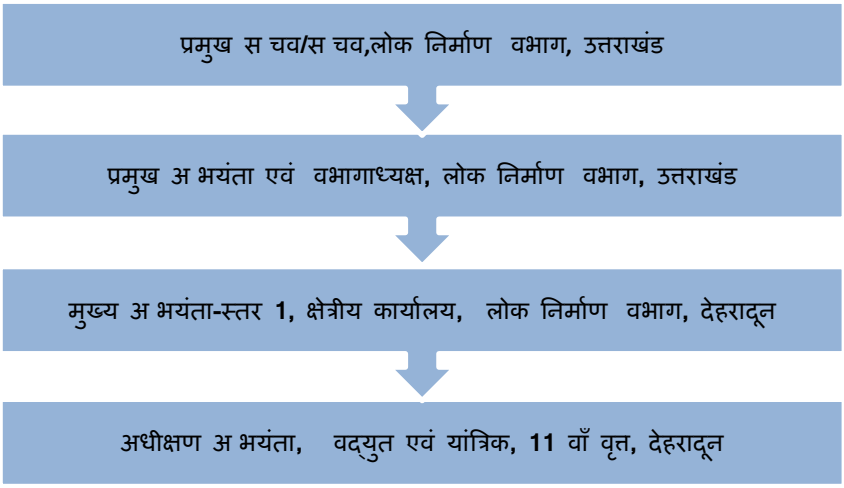

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त देहरादून के माह फरवरी 2016 से जनवरी 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अप्रैल 2017 एवं अप्रैल 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: अनुश्रवण न कया जाना।

वभागीय मशीनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु वद्युत/यांत्रिक खंडों को अलग से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। स वल खंडों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेशनल/ हायर चार्जेज से ही वद्युत/यांत्रिक खंडों द्वारा मशीनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के कार्य संपादित कए जाते है।

वृत्तीय कार्यालय के अ भलेखों अनुसार, वृत्त के अधीनस्थ व भन्न वद्युत/यांत्रिक खंडों को लो॰ नि॰ व॰ उत्तराखण्ड के अधीनस्थ अन्य स वल खंडों से मशीनों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु हायर चार्जेज कुल रू0 2,46,11,254.25 माह जनवरी 2017 तक देय थे जिनके भुगतान हेतु वृत्त कार्यालय द्वारा मुख्य अ भयन्ता स्तर पर माह जनवरी 2017 में पत्राचार कया गया था।

वृत्त के अ भलेखों की जाँच (फरवरी 2018) में देखा गया क वृत्तीय स्तर पर माह जनवरी 2017 के पश्चात अधीनस्थ वद्युत/यांत्रिक खंडों के लंबित हायर चार्जेज एवं उनकी वसूली से संबन्धित कोई भी अ भलेख उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण इं गत करने पर वृत्त कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया क हायर चार्जेज का भुगतान वद्युत/यांत्रिक खंडों को ही कया जाता है एवं प्राप्ति का रिकॉर्ड भी खंडीय स्तर पर ही बनाया जाता है। वद्युत/यांत्रिक खंडों द्वारा हायर चार्जेज की रिपोर्ट भी आवश्यकतानुसार समय - समय पर वृत्त कार्यालय को प्रे षत की जाती है। इसके अतिरिक्त, वृत्तीय कार्यालय द्वारा लंबित हायर चार्जेज की वसूली हेतु पत्राचार कया जा रहा है एवं अधीक्षण अ भयंता द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी मुख्य अ भयंता एवं प्रमुख अ भयंता से वार्ता कर वसूली हेतु संबन्धित खंडों को लखा जा रहा है।

वृत्त का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क वृत्तीय कार्यालय के पास अद्यतन हायर चार्जेज एवं उसकी वसूली से संबन्धित अ भलेख उपलब्ध नहीं थे और हायर चार्जेज की वसूली हेतु वृत्त कार्यालय द्वारा एक वर्ष से अ धक की अव ध के पश्चात से लेखापरीक्षा की ति थ (02/2018) तक उच्च स्तर पर कोई भी पत्राचार नहीं कया गया था जो क वृत्तीय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता था।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: खंडों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 71 के अनुसार "He will also inspect the divisional offices under him at least once a year, and will forward for information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the results of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates contracts agreements, contracts agreements, contractors accounts, revenue registers and office work generally".

अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त देहरादून की लेखापरीक्षा में देखा गया कि कि वर्ष 2016–17 में अधीनस्थ खण्डों (विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड देहरादून, ऋषिकेश एवं गोपेश्वर) में से मात्र एक खण्ड देहरादून का निरीक्षण किया गया था तथा वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा तिथि(फरवरी 2018) तक किसी भी खण्ड का निरीक्षण नहीं किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 में कार्यालयीन कार्यों में व्यस्तता होने के कारण ऋषिकेश एवं गोपेश्वर खंड का निरीक्षण नहीं किया जा सका था तथा वर्ष 2017-18 में अधीनस्थ खंडों का निरीक्षण माह फरवरी-मार्च में प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: रोकड़ बही का उचित रख-रखाव न किया जाना।

अधिशासी अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त, देहरादून के रोकड़ बही एवं उससे संबंधित अभिलेखों की जॉच में देखा गया कि कार्यालय द्वारा भुगतान की गई धनराशियों (टेलीफोन, बिजली, पानी एवं लेखन सामग्रियों के बिलों के धनराशियों) की प्रविष्टि रोकड़ बहीं में नहीं की जा रही थी।

इस संबंध मे पूछे जाने पर अवगत कराया गया की बिलों के ऑनलाइन भुगतान होने के कारण रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा भुगतान की गई धनराशियों **का रोकड़ बही मे इंद्राज़ कया जाना आवश्यक है।**

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या कार्यालय को पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त देहरादून के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री वी0 के0 खेवरिया	अधीक्षण अभियंता
2.	श्री पी0 के0 पाठक	अधीक्षण अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक, 11 वाँ वृत्त, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, द्वितीय तल, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी / आर्थिक क्षेत्र-2